

# छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 268

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2023-02134

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "गुलमोहर पार्क", प्रमोटर-शहीद भगत सिंह नगर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, द्वारा-सैय्यद साजिद अली, पता-गुलमोहर पार्क लक्ष्मण नगर वार्ड क्रमांक-18, जिला-रायपुर (छ.ग)  
प्रोजेक्ट-"गुलमोहर पार्क" चिरहुलडीह, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
07/02/2024	<p>- प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>- भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा-5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट "गुलमोहर पार्क" पंजीयन क्रमांक-PCGRERA231018000823 के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनांक 23.10.2018 से पंजीकृत कराया गया है। उक्त प्रोजेक्ट की रेरा पंजीयन की वैधता दिनांक 30.04.2022 को समाप्त हो चुकी है। प्रमोटर द्वारा उक्त प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 अनुसार प्रोजेक्ट अवैध प्रोजेक्ट की श्रेणी में आ चुका है। उक्त कृत्य भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 के उपबंधों का उल्लंघन है, जिसके लिये अधिनियम की धारा-59 के अधीन प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत तक शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है।</p> <p>रजिस्ट्रार, छ.ग द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 21.11.2023 के अनुसार यह पाया गया है कि संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधानों का अवहेलना व उल्लंघन करते हुये उक्त प्रोजेक्ट की वैधता समाप्त होने के बावजूद प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरुद्ध दिनांक 29.12.2023 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।</p> <p>- अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब में लेख किया गया है कि उपरोक्त संस्था छ.ग. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण में पंजीकृत है, जिसका पंजीयन क्रमांक- PCGRERA231018000823 है। प्रोजेक्ट रेरा पंजीयन की वैधता दिनांक 30.04.2022 को समाप्त हो चुका है, जिसकी नवीनीकरण हेतु आवेदन दिनांक 27.07.2023 को प्रस्तुत की गई है, जिसमें कॉलोनाईजर प्रमाण पत्र का नवीनीकृत मांगा गया है, जिसे अनावेदक द्वारा दिनांक 10.01.2024 को प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत</p>	

# छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 268

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2023-02134

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "गुलमोहर पार्क", प्रमोटर-शहीद भगत सिंह नगर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, द्वारा-सैय्यद साजिद अली, पता-गुलमोहर पार्क लक्ष्मण नगर वार्ड क्रमांक-18, जिला-रायपुर (छ.ग)  
प्रोजेक्ट-"गुलमोहर पार्क" चिरहुलडीह, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>कर दिया गया है। अनावेदक द्वारा प्रकरण में एक माह का समय देने की मांग की गई है।</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी अनुसार सितम्बर, 2023 तक प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट के विकास कार्य की पूर्णता की स्थिति 67 प्रतिशत है। प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट की वैधता दिनांक 30.04.2022 को समाप्त हो गयी है। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट के विस्तारण के लिये दिनांक 27.07.2023 को प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन मय दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया गया है। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट का विस्तारण दिनांक 23.01.2025 तक किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रकरण समाप्त किया जाता है।</li><li>- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।</li><li>- प्रकरण नस्तीबद्ध कर, अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</li></ul> <p>सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p>सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	